संख्या-21/1310/47-का-3-2013-9/85/2010

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक : 14 फरवरी, 2014

विषय- नक्सल प्रभावित जनपदों में तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों को सुविधाएं/ इन्सेन्टिव दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव नियोजन विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-838/दी.यो./प्र./न./10, दिनांक 01.09.2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निदेशक (एन.एम.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या'18015/77/2009-एन. एम. दिनांक 12.08.2010 की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की गयी थी कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के एल0डब्लू0ई0 प्रभावित जनपदों में तैनात कार्मिकों हेतु इन्सेन्टिव स्कीम के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव भारत सरकार तथा नियोजन विभागको उपलब्ध कराया जाय।

2- उक्त संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नक्सल प्रभावित जनपदों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले इन्सेन्टिव्स मानीटरी एवं नान मानीटरी दोनो प्रकृति के हैं। नान मानीटरी बिन्दुओं पर सुविधाएं दिए जाने का प्रकरण कार्मिक विभाग तथा मानीटरी बिन्दुओं पर सुविधाएं दिए जाने का प्रकरण वित्त विभाग द्वारा व्यहृत किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उक्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को निम्न नान मानीटरी सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है :-

(क) Left Wing Extremism जनपदों में तैनात कार्मिकों को इनके पूर्व के तैनाती के स्थान पर आवंटित आवास को यथावत बनाए रखना।

(ख) उक्त जनपदों में तैनात कार्मिकों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश में प्राथमिकता दिया जाना।

(ग) उक्त जनपदों में तैनाती को कठिन तैनाती के रूप में वर्गीकृत करते हुए जब कार्मिकों का कार्यकाल इन जनपदों में पूरा हो जाये तो उनकी इच्छानुसार नई तैनाती दिया जाना।

http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) उक्त वर्णित जनपदों में यदि सामान्य प्रक्रिया के तहत रिक्तियों की पूर्ति नही हो पाती है अथवा तैनाती नही हो पाती है तो उनमें प्रतिनियुक्ति अथवा एक स्तर की पदोन्नति देते हुए अथवा संविदा के आधार पर भरा जाना।

(ड) उक्त जनपदों में तैनाती का विवरण अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कार्मिक को वार्षिक प्रविष्टि मे अंकित किया जाना।

(च) उक्त जनपदों में तैनाती के दौरान यदि कार्मिक की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के 03 जनपदों यथा चन्दैली, मिर्जापुर तथा सोनभद्र Left Wing Extremism से प्रभावित जनपद के रूपमें चिन्हित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि :-

"प्रस्तर-2(क) में वर्णित सुविधा दिए जाने पर विचार किया जा सकता है अर्थात नक्सल प्रभावित जनपदों में तैनात कार्मिकों को इनके पूर्व तैनाती के स्थान पर, आवंटित आवास को यथावत बनाए रखने में कोई आपत्ति नही है, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्मिक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर आवंटित स्थल पर आवंटित आवास मे निवास करें। प्रस्तर-2(ख)(घ) तथा (ड.) पर वर्णित सुविधाओं हेतु पृथक से कोई आदेश प्रसारित/ निर्गत करने की आवश्यकता नही है। प्रस्तर-2(ग) के अनुसार वर्णित प्रस्ताव स्वीकार योग्य नही है, क्योकिं किसी भी कार्मिक को कहाँ तैनात करना है, यह प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है एवं प्रस्तर-2(च) पर वर्णित सुविधा प्रदेश के सभी कार्मिकों को पूर्व से उपलबध है।"

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से विषयगत शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें तथा भारत सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस0पी0 सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

नक्सल प्रभावित जनपदों में तैनात कार्मिकों को नान मानीटरी बिन्दुओं पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत पूर्व आवंटित आवास को यथावत् बनाये रखने के बिन्दु पर निम्न विभागों का विभागीय अभिमत।

(1) **लोक निर्माण विभाग**

राज्य सरकार के अधीन समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों तथा समूह 'ग' के अन्तर्गत विशेषकर अवर अभियंता संवर्ग हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के समय उनके पूर्व के तैनाती के स्थान पर आंवटित आवास को यथावत् रखे जाने हेतु लोक निर्माण विभाग सहमत है परन्तु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती की अवधि में समूह "क" एवं "ख" के लिए दो कक्षों एवं समूह 'ग' के लिए एक कक्ष वाला आवासीय ट्रांजिट हास्टल का निर्माण/आवंटन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त उपर्युक्त कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

(2) **गृह विभाग का अभिमत**

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारीगण के परिवारों को रहने हेतु जिला मुख्यालय पर अनिवार्यता एक उपयुक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

(3) **राजस्व विभाग का अभिमत**

राजस्व अनुभाग-14 ने चकबन्दी आयुक्त,उ0प्र0 के पत्र दिनांक 17.12.2012 के क्रम में अवगत कराया गया है कि चकबन्दी विभाग का कार्य जनहित/कार्यहित में कृषक वर्ग से जुड़ा हुआ हैं। चकबन्दी विभाग की कार्यशैली के दृष्टिगत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर उक्त इन्सेन्टिव स्कीम लागू नहीं होता है। अतः जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण नक्सल प्रभावित जनपदों यथा चंदौली,मिर्जापुर एवं सोनभद्र में हुआ है,उन कार्मिकों को उनके पूर्व कार्यरत जनपद में आवंटित आवास को पूर्ववत् बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0 के पत्र दिनांक 04.12.2012 के क्रम में राजस्व विभाग ने अवगत कराया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अधिकारी/कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, यदि उनके परिवारों के लिए उनके पूर्ववर्ती स्थान पर आवंटित आवास रिटेन करने की अनुमति दी जाती है,तो वह उचित एवं मानवीय होगा।

(4) ग्राम्य विकास विभाग का अभिमत

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक,आर्थिक एवं सामाजित परिदृश्य एवं दुर्गम स्थिति के दृष्टिगत वहां पर तैनात कार्मिकों को उनकी पूर्व तैनाती के स्थल पर आवंटित आवास को यथावत् बनाये रखने के संबंध में ग्राम्य विकास विभाग को आपत्ति नहीं है,परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित कार्मिक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर आवंटित आवास में निवास करें।

(5) पंचायती राज विभाग का अभिमत

नक्सल प्रभावित जनपदों चन्दौली,मिर्जापुर एवं सोनभद्र में तैनात/कार्यरत कार्मिकों को उनके पूर्व कार्यस्थल पर आवंटित आवास को पूर्ववत् बनाये रखने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

(6) सिंचाई विभाग का अभिमत

Left Wing Extremism प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों को पूर्व की तैनाती के स्थान पर आवास में स्थानान्तरित कार्मिक का परिवार यथावत् अध्यासित रखा जाय।